भूमिका

भारत में ग्राम पंचायत का इतिहास सदियों पुराना है।पंचायतउस सभा का नाम है जहाँ पंच मिलकर किसी विषय पर विचार-विमर्श करते है या कोई निर्णय लेते हैं। इसमें ग्राम सभा की सहमति या पंच को ग्रामीण सर्वमान्य मानते हैं।पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं।भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है।आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वाराराजस्थान के नागौर जिले में 2अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है।1993 को संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 करके पंचायतीराज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दीगई। इसकी शुरुआत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु की गई है।यही कारण था कि पंचायती राज व्यवस्था को 'बलवंत राय मेहता समिति' ने "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" का नाम दिया था।महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया।

हमारे देश में अभी भी बहुत सी जनता निरक्षर है, जिसके कारण उन तक अभी भी बहुत से माध्यम पहुँच नहीं पाते है। अन्य जनसंपर्क माध्यम भी वंचित वर्गों तक पहुँचने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे है इस के लिए सरकार अपने जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत क्या बदलाव ला रही है उन जनता तक किस माध्यम से जनसंपर्क करावा रही है? क्या ग्रामीणजनता अभी भी सरकारी जनसंपर्क से वंचित है? इसको लेकर लोगों में क्या समस्या आ रही है, लोग उसमें क्या बदलाव लाना चाहते है। किस माध्यम के द्वारा लोग अधिक प्रभावी संचार कर सकते है। संचार माध्यम वर्ग निरपेक्ष नहीं है बहुत सारे माध्यम जटिल समस्या होने के कारण सारी सदिच्छाओं के बावजूद इनका उपयोग वैसा उपयोग नहीं कर पाते है।

सरकार जब कोई योजना बनाती है तो उस समय उसके जनसंपर्क का भी नियोजन होता है उस योजना को किस वर्ग तक पहुँचाना है, किस के लिए महत्वपूर्ण है उसी प्रकार का प्रभावी माध्यम उपयोग करना चाहिए। लेकिन योजनाओं का जनसंपर्क कई बार सीमित और अधुरा नजर आता है। जिससे जनता को एक, दो महीने बाद कुछ जानकारी नहीं होती है उसी से जनता के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। यह स्पष्ट है कि जनसंपर्क का उद्देश्य संवाद साधना है, जिसमें यह प्रयास निहित होता है कि जनता को नयी जानकारी मिले, वह स्वीकार्य बने, जनता उसे स्वेच्छा से अपनाए और उसका अनुशरण करे। व्यापक अर्थ में जनसंपर्क का उद्देश्य समाज में अनुकूल परिवर्तन लाना है।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना के लिए समय-समय पर शोध कार्य होता रहा है और सुझाव सरकार के पास आते गये। वर्तमान परिपेक्ष में जनमत को भी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया हैजिस प्रकार किसी भी संस्था की सफलता एवं असफलता निर्भर करती है। जनसंपर्क के प्रसिद्ध विचारकों एवं अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क विशेषज्ञ, विचारकों ने नयी सहस्त्राब्दी कोजनसंपर्क को ही समर्पित किया है। जनसंपर्क के प्रति पूर्ण जागरूकता को सिद्ध भी किया जा रहा है। जनसंपर्क के इस विकास से एक ऐसे मानवीय वातावरण का निर्माण हुआ हैजिसमें समाज के सभी संघठनों,वर्ग,संस्था का अस्तित्व उभरकर सामने आने लगे है। लेकिन कई बार पंचायत राज की योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, बईमानी से जन –सामान्य के दिल और दिमाग में योजनाओं के प्रति गंभीरता और विश्वास नजर नहीं आता है। पंचायत के प्रतिनिधि, सदस्य भेद-भाव परिवारवाद, राजनीति, गुटबाजी से काम चला रहे है। इसके चक्कर में सामान्य व्यक्ति नहीं पड़ना चाहता है। इसलिए इन सब कारणों को पंचायती राज व्यवस्था से दूर किया जाना आज के लिए जरूरी हो गया है। कई सारी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाई जाती है लेकिन उसमें महिला कम ही नजर आती है, पारिवारिक और व्यावसायिक घर के काम काज की वजह से व्यस्त रहने से अन्य काम के लिए समय नहीं दे पाती है। घर के पुरुष भी सहयोग नहीं करते है, इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। भेद-भाव रखने से कोई भी योजना सफलतापूर्वक पूरी नहीं की जा सकती है। यदि पंचायत लोगों को साथ लेकर काम करेंगी तभी लोगों का विश्वास पंचायत व्यवस्था में बढ़ेगाऔर तभी हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था कारगर होगी।

जनसंपर्क की प्रक्रिया में जो परस्पर संवाद होता है उसमें जानकारी केवल प्रेषित नहीं होती है,वह उपजती है। जनसंपर्क करने के लिए अनुकूल परिस्थिति का होना भी बहुत जरुरी होता है जिससे जनता में सूचना का आदान-प्रदान हो। जितने ज्यादा माध्यमों का उपयोग होगा उतना प्रभावी जनसंपर्क होगा। इससे बेहतर पंचायती राज व्यवस्था में जनसंपर्क नहीं हो सकता इस शोध के माध्यम से सरकारी जनसंपर्क की भूमिका देखने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना एवं शोध प्रविधि

1.1 प्रस्तवाना

सामाजिक एवं संस्कृतिक शोध का अर्थ सामाजिक तथ्यों तथा घटनाओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई खोज है।जनसंपर्क शोध में गतिविधियों के परिणाम और परिमाण (मात्रात्मक)का आंकलन कई प्रकार से किया जा सकता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति सहित अन्य कई प्रकार की समाजशास्त्रीय शोध पद्धतियों को भी शामिल किया जा सकता है। इस शोध के माध्यम से आज की पंचायती राज व्यवस्था कितनी आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण साबितहो रही है।सरकारी योजनाओं का ग्राम विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना और उनका जनसंपर्क भी महत्वपूर्ण है।

गांधी के विचारों के अनुरूप भारत की आत्मा गांवों में बसती है, पंचायती राज में गणराज्य के सभी गुण होने चाहिए। गांधीजी सिद्धांत और संसाधनों को प्रथम स्थान देते है। जिसमें स्वावलंबन, स्वशासन, आवश्यक्तानुसार स्वतंत्र और विकेंद्रीकरण तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सभी अधिकार पंचायतीके पास हो। वास्तव में ग्राम का नागरिक बेरोजगारी, भूखा वस्त्रहीन न रहे ऐसे दायित्वों के पूर्ति का कार्य पंचायतीकरेगी। गांधी जी कहते थे जब तक गांवों का विकास नहीं होता तब तक भारत का विकास संभव नहीं। बलवंत राय मेहता कमेटी और एल. एन. सिंघवी केसुझाव के पश्चात इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। स्वतंत्रता से आज तक पंचायती राज व्यवस्था में घोषित कार्यक्रमों के पीछे वोटो की राजनीति हावी रही। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो इसे माना भी था। उन्होंने कहा था कि हम बापू के सपनों की पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सके लेकिन "वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था" में गांधीजी की ग्राम योजना को ढुढ़ना हमारा लक्ष्य होगा।

पंचायती राज व्यवस्था में सरकारी जनसंपर्क का महत्व अत्याधिक होता है। पंचायतीराज की परिकल्पना, स्वरूप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा आज कल की बात नहीं है, यह प्रक्रिया वैदिक काल से भी पूर्व की है।तत्कालीन राजा पंचायतों के माध्यम से राज कार्य संभालते थे। उस दौरान गांव का प्रमुखमुखिया होता था, उस समय ग्रामीण लोग पंचयतों में रुचि लेते थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पंचायती राज, ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्यक्रमों का प्रारम्भ किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रकल्प तैयार किये गये।

भारत में ग्रामीण विकास के दिशा में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रम की गति को तीव्र करने, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने तथा स्थानीय प्रशासन की महत्ता को उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए 1957 से एक अलग-पंचवर्षीय योजना के लिए समिति का गठन किया गया। पंचायतीराज व्यवस्था में जिला परिषद, पंचायतीसमिति और ग्रामपंचायतीइन तीनों के माध्यम से विकास के महत्वपूर्ण काम होते हैं। जिला स्तरीय जनसंपर्क कार्यालय का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। इसलिए वहां कर्मचारियों की संख्या और सुविधा भी सीमित होती है।लेकिन उनके कार्य में इन सभी गुणों का समावेश होता है, जो जनसम्पर्क संचालनालय द्वारासंपन्न किए जाते है। जनता के साथ सीधा जनसम्पर्क और परिस्थितियों विषमताओं के कारण तनाव और उत्तेजना भरी परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है और राज्यव्यापी योजनाओं और कार्यक्रम, नीतियों के संबधित जानकारी लेनी पड़ती है।

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध को व्यवस्थित करने के दृष्टिकोण से प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध को 6 अध्याय में विभाजित किया है। ताकि इस कार्य को अधिक सुचारु एवं बोधगम्य बनाया जा सके। यहाँ प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध के विभिन्न अध्यायों के विवेचन विश्लेषण का क्रमबद्ध रूप में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

अध्याय - एक शोध प्रविधि - इस अध्याय में शोध विषय के बारे में प्रारंभिक चर्चा की गई है। इसी के साथ ही विषय को अच्छे से समझने के लिए उपकल्पना तथा उद्देश्य के साथ शोध कितना महत्वपूर्ण है। शोध में उपयोग की जाने वाली प्रविधि के बारे में जानकारी दी गई है।

अध्याय - दो जनसंपर्क : स्वरूप एवं सिद्धांत - इस के विचारों को भी दिया है। जनसंपर्क के स्वरूप में जनसंपर्क की कार्य पद्धति के माध्यम से किस प्रकार काम किया जाता है। जनसंपर्क के सिद्धांत क्या कहते हैं। उसमें जनमाध्यम किस प्रकार काम कर रहे हैं, इन सभी को महत्वपूर्ण स्थान देकर विश्लेषित किया है।

अध्याय - तीन पंचायती राज व्यवस्था की अवधारण– भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर विविध अवधारण और विचारों को रखा है। इस में पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ और पंचायती राज व्यवस्था की समस्या की जानकारी दी है। पंचायती राज में महात्मा गाँधी के विचार किस प्रकार आज भी लागु होते हैं,उसमें ग्राम स्वराज्य की क्यों महत्त्वपूर्ण भूमिका को दिया है। पंचायती राज व्यवस्था के अधिनियम को दिया है।

अध्याय - चार विकास परियोजना एवं पंचायती राज – पंचायती राज व्यवस्था में आज कौन – कौन सी योजना ग्रामीण विकास के लिए काम कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था के काम व उनके अधिकार की जानकारी दी है। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार काम कर रही है इसकी जानकारी दी है। जिससे पंचायती राज व्यावस्था को मजबूती प्रदान की जा सके। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम स्तर पर व क्षेत्रीय नियोजन, राज्य स्तरीय नियोजन और केंद्र सरकार द्वारा किऐ जाने वाले नियोजन की जानकारी है।

अध्याय - पांच पंचायती राज व्यवस्था के उत्थान में सरकारी जनसंपर्क की भूमिका –

इस अध्याय में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्तिकरण करने में सरकारी जनसंपर्क की भूमिका को समझने का प्रयास किया है। जनसंपर्क के पारंपरिक माध्यमों का उपयोग पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार प्रभावी हो रहा है। इस के साथ जनसंपर्क के टूल्स प्रदर्शनी, मेला, सरकारी अभियान में जनता की सहभागिता किस प्रकार बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता लाने के लिए जनसंपर्क का प्रभावी उपयोग हो रहा है यह देखा है।

अध्याय - छः सरकारी जनसंपर्क का पंचायती राज व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभव का अध्ययन

सरकारी योजना के लिए जनसंपर्क महत्वपूर्ण है उसके लिए सरकारी जनसंपर्क किस प्रकार लोगों पर प्रभाव डालता है। उससे लोग आकर्षित होकर लाभ लेते हैं क्या? इस प्रकार प्रश्नावली के माध्यम से लोगों से जानकारी ली गई है जिसका विश्लेषण किया है।

अध्याय - सात निष्कर्ष- इस अध्याय में पूरे शोध अध्यायन से प्राप्त निष्कर्ष है को शामिल किया है। उपकल्पना के आधार पर सत्यता की जाच की गई है। जिससे इस पूरे शोध को समझा जा सकता है और अगामी शोध अध्यायनों के लिए कुछ सुझाव दिये गए है।

1. 2 साहित्य पुनरावलोकन

त्रिपाठी, मधुसूदन (2010). भारत मेंलोक प्रशासन; भारतीय प्रशासन का विकास, ओमेगा प्रकाशन : दिल्ली

इस किताब में पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं,गावों में प्रशासन की श्रृंखलाओं का तहसील, जिला राज्य और राष्ट्रीय प्रशासनिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा, रूपरेखा का विस्तृत विवेचन

समस्त राज्य की पंचायती राज संस्थान की संरचना,पंचायती राज की पृष्टभूमि ग्रामीण जनों के लिये उपयोगी होगी? उस के माध्यम से ग्रामीण समाज का विकास, योजना की जानकारी लोगों को किस प्रकार हो रही है?वहां तक उनकी पहुँच का माध्यम और शासन व्यवस्था की जानकारी ली गई है। जिला आयोजन समिति पंचायती समितियों और नगरपालिका निकायों द्वारा तैयार की गई है, वार्षिक योजनाओं का समेकन कर, संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयारकर, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी। राज्य प्रशासन जिन स्थानीय संस्थाओं की स्थापना करता है उनका संचालन जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। जिला प्रशासन में सरकार के सभी अभिकरण, व्यक्तिगत अधिकार एवं कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी आदि सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार इस किताब में कहा गया है।

झा, कलिदत्त. तिवारी, रघुनाथप्रसाद. (2006) राज्य सरकार और जनसम्पर्क, राधाकृष्ण प्रकाशन : दिल्ली

इस पुस्तक में जनसंपर्क को परिभाषित किया गया है जो मेरे शोध के लिहाज से जनसम्पर्क के परिदृश्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। लेखक कहता है कि सरकार जनसंपर्क के कार्य को उच्च प्राथमिकता देती है। आखिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था में लोगों से निरंतर संपर्क ही सरकार की प्राणवायु है। अच्छी सरकार जनता से निरंतर जनसंपर्क करके ही जनता की भावनाओं को लगातार जानने की कोशिश और गतिविधियों में बदलाव के उपक्रम में लगी रहती है। समाज पर बाजार के हवी होने की कोशिश के बावजूद राज्य की जानता के साथ जनसंपर्क के साधनों को बढ़ावा देती है।

कुमार, गौरव. (2013). ग्रामीण विकास और सशक्तिकरण. कुरुक्षेत्र, मार्च

इस पुस्तक में बताया गया है किकिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोगों को सशक्त किया जा सकता है। चुकी शोध के विषय में सशक्तिकरण शब्द जुड़ा हुआ है, इस नाते यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। समग्र ग्रामीण विकास के लिए ग्रामसभा सशक्तिकरणपंचायती राज मंत्रालय उपायों के आलवा पंचायतों के सशक्तिकरण और विकास के लिए अन्य तरीकों और योजनाओं के द्वारा भी प्रयास कर रहा है।इन प्रयासों में प्रमुख है,पंचायती विशेषाधिकार,ग्रामसभा का सशक्तिकरण हेतु आवश्यक नीतिगत, वैधानिक व कार्यक्रम परिवर्तन पंचायतों में अधिक कार्यकुशल, पारदर्शिताव जवाबदेही निश्चितता एवं सुव्यवस्थित करने के लिए बेहतर प्रणाली व प्रक्रिया को बढ़ावा देना व जागरूकता फैलने के विशिष्ट उपाय आदि। इसके अलावा विभिन्नसरकारी योजनाओं,कार्यक्रम के

क्रियान्यावन, सीधे निगरानी ग्राम पंचायती को तोहफा दी गई है। जैसे मानरेगा, इंदिरा आवास योजना आदि।

डॉ महिपाल, (2014) पंचायती राज प्रणाली में जनसहभागिता – कुरुक्षेत्र पत्रिका जनवरी

लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं को भारतीय संविधान में स्वशासन की इकाई की अवधारणा का उल्लेख एक सही कदम है। किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि इकाई राजनीति के साथ- साथ आर्थिक इकाई भी है। और इसकी व्याख्या होनी चाहिए। इस संदर्भ में ग्राम सभा को एक कृषि औद्यगिक समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है। इसके क्षेत्र में आने वाले कार्यक्रमों के संचालन हेतु ग्रामीण जन के योगदान पर बल देना होगा। जे. बी. के. राव समिति के रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है, कि विकास कार्य में गाँव के लोगों का स्वैच्छिक सहयोग स्वावलंबन की दिशा में पहल कदम होगा। ध्यान रहे की राज्य की पंचायती अधिनियमों में ऐसा प्रावधान है कि ग्रामसभा को इस ज़िम्मेदारी को निभाना है कि ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम के श्रमदान हेतु लोगों को प्रेरित किया जाय नि: संनदेह इस के लिए पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर एक गतिशील नेतृत्व की आवश्याकता होगी।

सभी राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की कार्यकारणी में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। महाराष्ट्र राज्य में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। फिर भी यह ज्ञात होता है कि ग्रामसभा की बैठक में पुरुषो की तुलना महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम दिखती है। यह असमानता महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकरण से एक गलत संदेश है। आज महिलाओं द्वारा निर्मित बचत गट समूहो का व्यापक प्रसार और विकास हो रहा है। यदि ग्रामसभा में आम महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो इसके अतिरिक्त आम महिलाओं बचत गट समूह बनाने की प्रेरणा मिलेगी और यह महिला सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से एक सराहनीय कदम होगा। इसी से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

कुमारी, सोनी (2012) केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायती की भूमिका, कुरुक्षेत्र अगस्त

देश की एक तिहाई से भी अधिक जनता गांवो में निवास करती है। इसलिए केंद्र सरकार कि कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएं गांवो के लिए चलाई जाए। सरकार की योजनाएं चाहे जो

चलाई जाए, लेकिन उनके क्रियान्वयन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका पंचायती की होती है। पंचायती की भागीदारी के बिना कोई भी योजना नहीं चलाई जा सकती है। पंचायती की भागीदारी बढ़ाने से ग्राम पंचायती स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ गई है। वे चाहकर भी मनमानी नहीं कर पातेहै। सरकार कितनी भी स्मार्ट सिटी बनाए, डिजिटल इंडिया की बात करे लेकिन भारत का विकास बिना गांवो के पूरा नहीं हो सकता है।गांवो के विकास में जनसहभागिता, लोकजागृति, योजनाओं का जनसम्पर्क, पंचायती राज संस्थाओं के गठन के पीछे का उद्देश्य भी दुर,और सुदूरवती क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक विकास योजना को पहुचाना है। साथ ही सवेदनशील, कर्मठ और समाजिक सरोकार के साथ समाज का निर्माण हो, यही पंचायती राज योजनाओं और संस्थाओं के गठन का उद्देश्य रहा है।

1. 3 शोध का उद्देश्य

पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण में सरकारी जनसंपर्क की भूमिका (वर्धा जिले में आर्वी पंचायती समिति के विशेष संदर्भ में) विषय का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था के सम्पूर्ण स्वरूप का अध्ययन करते हुए इसके वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालना है,और इसमें पंचायतीराज व्यवस्था के संदर्भ में सरकारी जनसंपर्क का महत्व और उस के माध्यम से योजनाओं की लोगों तक जानकारीइसको भी शोध के माध्यम से देखना है।पंचायती राज व्यवस्था की नीव या उसका स्वरूप ही सशक्तिकरण और समावेशी विकास के लिए किया गया था तो ऐसे में यह अपने इन उद्देश्यों के साथ कितना न्याय कर पा रहा है तथा सरकार द्वारा लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए जो संचार माध्यमों के द्वारा जनसंपर्क कितना कारगर है इसका पता लगाना भी इस शोध का उद्देश्य है।इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख उद्देश्यवत बिन्दु रखे गए हैजो इस प्रकार है।:-

- जनसंपर्क केप्रभावशीलता का अध्ययन करना।
- पंचायतीराज योजनाओं में सरकारी जनसंपर्क की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
- पंचायतीराज योजनाओं में लोगों की कितनी जागरूकता और सहभागिता है।
- पंचायतीराज व्यवस्था से ग्रामीण लोगों को अवगत कराना।
- पंचायतीराज योजनाओं का फायदा किस जनको होता है।
- पंचायती राज व्यवस्था के प्रति लोगोंके क्या विचार है।

1. 4 शोध का महत्व

यह शोध कार्य करने पर सरकारी योजनाओं के लिए लोगों को जागरूक करने में संचार माध्यम का इस्तेमाल कैसे उपयोगी हो सकता है का पता लगाया जाएगा। अतः इस शोध के माध्यम से सरकार को अपनी योजनाओं के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उचित माध्यम के उपयोग को बताया जा सकता है।आने वाले समय में पंचयती राज की योजनामें जनसंपर्क का रूप कैसे बदल रहा है?किस माध्यम का ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा,लोगों को योजनाओं की जानकारी किस माध्यम से पहुंचाई जा रही है आदि बातों को समझने के लिए शोध काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

1. 5 उपकल्पना

- पंचायती राज व्यवस्था मेंलोगों तक योजनाओं की पहुंच बनाने में व उन्हें जागरूक करने में सरकारी जनसंपर्क की भूमिका अहम होती है।
- पंचयती राज योजनाओं कालाभ आम जन के लिए होता है क्या, और योजनाओं को जन-जन पहुचाया जाता है।
- पंचायती राज व्यवस्था के योजनाओं की लोग नियमित जानकारी रखते हैं।

1.6 शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध हेतु अनुमापन, तथ्य-विश्लेषण तथा सैंपलिंग के माध्यम से शोध का प्रारूप प्रदान करने का प्रयास कियागया।इस शोध अध्ययन की प्रकृति के अनुसार गुणात्मक शोध प्रविधि प्रयोग में लाई। सैंपलिंग के लिए रैंडम सैंपलिंग का चुनाव किया। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में प्रश्नों के माध्यम सेप्रश्नावली द्वारा पूछा इसके अलावा साक्षात्कार के आधार पर भी डाटा एकत्रित किए गया। एकत्रित डाटा के विश्लेषण के लिए ms excel का उपयोग किया। शोध के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक शोध प्रविधि का प्रयोग किया।जनसंपर्क में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया है। जनसंपर्क अनुसंधान योजना से लेकर क्रियान्विति तक के सभी स्तरों पर अपनाया जाता है शोध में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रविधि निम्नलिखित है।

- **सर्वेक्षण विधि -** इस विधि के माध्यम से चयनित शोध क्षेत्र में उत्तरदाता से विभिन्न सवालों का जवाब प्राप्त किया गया। जिसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ेविषय वस्तु का अध्ययन किया गया। इस पद्धति में विविध प्रश्नों की सूची बनाकर बंद प्रश्नावली भरवाकर शोध कार्य में उपयोग किया। इसमें 100 प्रश्नावली संबधित क्षेत्र के 25 से 35 उम्र के लोगों से भरवाई।
- **साक्षात्कार -** साक्षात्कार के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्ता से जुड़े और संबन्धित व्यक्तियों और विद्वानों से कुछ सवालों के माध्यम से उनकी राय ली गयी। साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से पंचायतीराज योजनाओं से संबन्धित अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी का व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया। इस शोध में वर्धा से संबंधित समाज सेवा करने वाले लोग, राजनैतिक लोग और इस शोध में उपयोगी लोगों का साक्षात्कार लिया।
- **असहभागी अवलोकन**

  इस के अंतर्गत शोधार्थी प्रत्यक्ष्य रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप में लोगों के साथ उठ- बैठकर उनका अध्ययन किया।

1.7 शोध परिसीमन

शोध कार्य को पूरा करने के लिए एक सीमा महत्वपूर्ण होती है।जिसके अंदर रहकर आप काम करते हैं।शोध के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार का पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जनसंपर्क की पहुँच जानने केलिए वर्धा जिले के आर्वी पंचायती समिति को लिया गया। जनसंपर्क जानने के लिए उस पंचायती समिति में 2014-15 में कौन-कौनसी योजना चलाई जा रही, किन लोगों ने किस-किस योजनाओं का लाभ लिया उसके आकड़े कितने हैं इनको जाना है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

- पंचायती राज व्यवस्था का विकास ही ग्रामीण जनता का विकास है। प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था का सशक्तिकरण नहीं हो जाता तब तक विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए ग्रामीण व्यवस्था के विकास में सरकारी जनसंपर्क की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- शोध के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज भी 52 प्रतिशत लोगों तक सरकारी योजनाओं की नियमित जानकारी नहीं पहुँचती है। इस क्रम में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले केवल 38 प्रतिशत लोग हैवहीं 62 प्रतिशत लोग ऐसे हैजो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाते है।
- पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो चुने गए सदस्य और सरपंचकों उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनकों बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। जिससे उनको कार्य करने में कोई समस्या न हो और इस के माध्यम से योग्य निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण हो जाए।
- पंचायती राज व्यवस्था में जन सहभागिता कम नजर आती है। उस की वजह से सूचना उन तक कम मिलती है।
- अध्ययन से मिले निष्कर्ष बताते है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी 51 प्रतिशत लोग टेलीवीजन के माध्यम से मिलती है वहीं केवल 29 प्रतिशत लोग ऐसे हैजिन्हें योजनाओं की जानकारी अखबार से मिलती है। रेडियो के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या केवल 6 प्रतिशत है। ये आंकडें परस्पर विरोधाभासी प्रवृर्ती के है।
- इन सभी दूरियों को मिटाने में और जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जाते है सरपंच गांवों में योजनाओं के प्रतिलोक जागरूकता करते नहीं दिखाई देते है। योजनाओं के प्रति लोगों को आकर्षित करने में जनसंपर्क का आभाव नजर आता है। आज भी पंचायती राज व्यवस्था की योजना में दूरियां नजर आ रही है।
- योजनाओं का जनसंपर्क करने से अधिक सरकारी काम ही जनसंपर्क अधिकारी के पास दिखाई देते है। इस लिए जिला जनसंपर्क अधिकारी के पास जनसंपर्क करने के लिए कई बार समय का अभाव नजर आता है। तो कई बार योजनाओं का जनसंपर्क हो रहा है लेकिन अधुरा और विश्वसनीयता लानेमें कमी नजर आ रही है। एक और योजनाओं के क्रियान्वयन की

स्थिति चिंताजनक बनी हुई है तो दूसरी और विकास के माँडल पंचायतों को सशक्त करने का प्रयास भी कर रहे है।

- गांवों के हित में योजना बनाना, बजट पारित करना, कर एकत्र करने के नियम बनाना और योजना को लागु करना और योग्य लाभार्थी तक पहुचाने की जरुरत है,लेकिन यह होते नजर नहीं आ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ मेंपुरानी प्रक्रियाओं को बदलना भी जरुरी है। ग्रामपंचायत पंचायती राज का सबसे जमीनी संस्थागत स्वरूप है।इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को नई दृष्टी से देखने की जरुरत है।

सुझाव

पंचायती राजव्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास को सशक्त और सफल करने के लिए शासकीय स्तर पर अधिक मजबूत प्रयास करने होगे, जिससे पंचायत राज व्यवस्था का विकास होगा। इसके लिए जनसंपर्क का होना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सरकारी जनसंपर्क एवं सरकारी योजनाओं की जनता तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु निम्लिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहें है -

- पंचायती राज व्यवस्था द्वारा जो योजनाओं के विकास कार्य कराये जाने वाले है उन सभी विकास कार्यों की जानकारी को बताने के लिए ग्रामपंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद इन सभी के कार्यालयों में बैनर या सूचना पत्र लगाना चाहिए।
- ग्रामपंचायत स्तर पर जो पंचायतों द्वारा कर लगाये जा रहे है उन सूची को गांवों की जनता सूचित (अवगत) करना चाहिए।
- ग्रामपंचायत बैठकों की सूचना प्रत्येक व्यक्ति या घरों में मुनादी (ढ़ोल) या लाउड स्पीकर के द्वारा दी जानी चाहिए उसी से जनता अवगत होगी।
- पंचायती राज व्यवस्था की कोई भी बैठक का समय खेती, किसानों अथवा अन्य व्यस्त समय में न होकर उन समय पर हो जब गांवो के लोग खाली हो।
- सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए गांवों में या तहसील के स्तर पर 7वीं से लेकर 12 वीं क्लास के विद्यार्थियों के बीच जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए।
- सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण स्तर पर एस.एम.एस (SMS) या सोशल मीडिया के माध्यम से देनी चाहिए।
- सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ग्रामपंचायत के स्तर पर गांवों में "सरपंच अपने घर तक" यह योजना चलनी चाहिए, जिससे ग्रामीण जनता में विश्वास प्रस्थापित होगा और जनसहभागिता बनी रहेगी।
- पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो सभी चुने गए सदस्य है उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनको कार्य करने में कोई समस्या न हो और इसके माध्यम से योग्य निर्णय लेने की क्षमता निर्माण हो जाए।

संदर्भ

उपाध्याय, देवेंद्र. (2001). पंचायती राज व्यवस्था: सामयिक प्रकाशन,दिल्ली.

कुमार,गौरव. (मार्च 2015). महिला सशक्तिकरण के लिए ' बेटी बचाओं –बेटी पढ़ाओं योजना, कुरुक्षेत्र.

गोयल, एल. सी. (मार्च 2015). दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना . कुरुक्षेत्र

झा, कलिदत्त. तिवारी, रघुनाथप्रसाद. (2006). राज्य सरकार और जनसम्पर्क, राधाकृष्ण प्रकाशन : दिल्ली.

डॉ चंदेल, चतुर्वेद नथिलाल . (2009). भारत में पंचायती राज सिद्धांत एवं व्यवहार: आविष्का पब्लिशर्ष जयपुर.

डॉ भानावत, संजीव. माथुर, क्षिप्रा. (2013).जनसंपर्क सिद्धांत और तकनीकी: राजस्थान ग्रंथ अकादमी, जयपुर.

डॉ. शर्मा.डी.के. (2009). भारत में पंचायती राज स्वरूप एवं संरचना: विश्वभारती प्रकाशन, नई दिल्ली.

त्रिपाठी, मधुसूदन. (2010). भारत में लोक प्रशासन; भारतीय प्रशासन का विकास, ओमेगा प्रकाशन दिल्ली.

नीतू, रानी. (2006). पंचायती राज व्यवस्था सिद्धान्त एवं व्यवहार: राजपाल प्रकाश, नई दिल्ली.

पडलिया, मुन्नी . (2009). भारत में पंचायती राज व्यवस्था: अनामिका पब्लिशर्ष नई, दिल्ली.

प्राण, चंद्रशेखर. (2005). पंचायती और गाँव समाज: अनामिका प्रकाशन.

प्रो. डॉ, पाण्डेय.वंदना (2013).विशेषीकृत जनसंपर्क: हरियाणा ग्रंथ अकादमी. पंचकुला.

प्रो. डॉ, पाण्डेय, वंदना .(2013).विशेषीकृत जनसंपर्क: हरियाणा ग्रंथ अकादमी. पंचकुला.

प्रो. सिंह, रणवीर . (नवम्बर 2014). सांसद आदर्श ग्राम योजना . कुरुक्षेत्र.

महेता, कृ. शि .(2009). जनसंपर्क अवधारण एवं बदलता स्वरूप: किताबघर प्रकाशन.

राव, डी. के. (2007). आधुनिक विज्ञापन और जनसंपर्क: लोक संस्कृति प्रकाशन,दिल्ली.

शर्मा, डॉ. के के. (2009). भारत में पंचायती राज, विश्वभारती पब्लिकेशन, दिल्ली .

श्रीवास्तव, म. (अक्तूबर 2013). ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर,कुरुक्षेत्र.

सिंह, मीनाक्षी.(2008).ओमेगा पब्लिकेशन :जनसंपर्क प्रबंधन, दिल्ली.

सिन्हा, वि . (अक्तूबर 2013). पंचायतो से सुधार रही है गांवों की जिंदगी, कुरुक्षेत्र.

वेबसाइट

http://hi.bharatdiscovery.org/india

http://hi.wikipedia.org/wiki

http://pustak.org/bs/home.php?bookid

http://testrdd.mahaonlinegov.in

http://www.hindi.mkgandhi.org

http://www.panchayat.gov

publicationsdivision.nic.in

www.hindi.Indiawaterportal.org

www.yojana.nic.in

परिशिष्ठ

साक्षात्कार

विजय जावंधिया किसान नेता वर्धा

1) पंचायती राज व्यवस्था आम नागरिक के लिए कैसे लाभदायी हो सकती है?

उत्तर – पंचायती राज की योजना हमारे देश में नहीं होती है, हमारे देश में योजना दिल्ली और राज्य की राजधानी तय करती है। अगर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना है आम नागरिक तक योजना पहुचानी है तो पंचायत को योजना बनाने का अधिकार देना चाहिए। नहीं तो इन योजनाओं को पंचायती राज योजना नहीं कहना चाहिए इनको पंचायत के द्वाराचलाई गई योजना कहा जा सकता है।

2) सरकारी योजना की जानकारी आम व्यक्ति को मिल जाती है?

उत्तर- सरकारी योजनाओं की जानकारी आम व्यक्ति को मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है। उसके लिए ग्रामपंचायत की सक्रियता और उस गाँव में जो सरकारी अधिकारी है विशेषकर ग्रामसेवक, सरपंच, पटवारी, या विशेष अधिकारी को गाँव में मुयावजी (दवंडी) देकर योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए। उसका बहुत प्रभावी उपयोग होता है। और दूसरा ग्रामपंचायत को लाउड स्पीकर लगाकर भी योजनाओं की जानकारी प्रसारण किया जा सकता है। और योजनाओं के संदर्भ में प्रबोधन करना ,बैठक लेना इसके माध्यम से योजना पहुचाई जा सकती है।

3) कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती है उसके पीछे क्या कारण हो सकते है?

उत्तर –कई बार योजना इस प्रकार की आ जाती है कि जिससे बहुत कम लोगोंको फायदा मिलता है। और उस गांवों या शहर के कुछ ही लोग योजना का फायदा लेते है। कई बार राजकीय नेता और उनके साथ रहने वाले व्यक्ति जुगाड़ लगाकर अपना फायदा कर लेते है। कई बार योजनाओं से संबंधित जो अधिकारी है वही योजना को दबाने का काम करते है। कई बार आपस में समझोता करते है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। उन योजनाओं की इस कान से उस कान तक खबर तक पहुँचा ने नहीं देते है।

4) सरकार और किसानों के बीच संबंध मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए?

उत्तर- सरकार और किसानों के बीच तभी संबंध अच्छे बन सकते है जब गाँव में या तहसील में जो सरकारी अधिकारी है वह लोगोंसे संपर्क किसानों की बीच प्रामाणिकता से संपर्क करे समय- समय पर

किसानों की मीटिंग बुलाए चर्चा करे, लोगोंसे मिलकर बात करे जानकारी दे न कि अपने ऑफिस में बैठकर काम करे।

5) पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है?

उत्तर- पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में पंचायत से चुनकर जो लोकप्रतिनिधि आते है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ना कि चुनाव में जो अपना खर्चा हुआ है उसको निकालने के काम में लग जाए। उसका जो काम है उसको ईमानदारी से निभाए अपने उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। और लोगोंसे संपर्क बनाए रखे, उनको नई जानकारी दे।

6) सरकारी जनसंपर्क योग्य लाभार्थी तक पहुँच पाताहै?

उत्तर – सरकारी जनसंपर्क योग्य लाभार्थी तक आज नहीं पहुँचता है। क्योंकि सरकारी अधिकारी अपना दायित्व पूरा नहीं कर पातेहै। उनको मालूम है कि नेताओं की चमचे गिरि (चाटुकारिता)करंगे तो ओ उस जगह पर बने रहेगे जहा उनको रहना होगा।और नेताओं की चमचे गिरि नहीं करोगे लोगोंसे जनसंपर्क बनाएगे, अच्छा काम करेगे तो उनको वही से कब निकाल दिया जाएगा इस प्रकार अपनी जगह बनाए(बचाए) रखने के लिए चमचे गिरि करते है। जनप्रतिनिधि अच्छे होंगे तो सिस्टम भी अच्छे से काम करेगा इसलिए जनता को जागरूक रहने की जरूरत है।

वर्धा जिला जनसंपर्क अधिकारी साक्षात्कार

1)जनसंपर्क के लिए किन जनमाध्यमों का प्रयोग करते है?

उत्तर- जनसंपर्क के लिए परंपरागत माध्यम के साथ- साथ, समाचार पत्र, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और न्यू मीडिया इन माध्यमों के माध्यम से हम सक्षम जनसंपर्क करते है। और सोशल मीडिया आज सबसेप्रभावी माध्यम होने की वजह से जन- जन तक सूचना, संदेश पहुँचाने में सुलभ हो गया है। इसलिए कम समस्या आती है और परंपरागत माध्यम में गांवो में पथ नाट्य के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाने में सक्षम हो रहे है।

2) सरकारी योजना जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है?

उत्तर- सरकारी योजना लाभार्थी के लिए ही होती है। इसलिए जब तक लाभार्थी योजना का लाभ नहीं लेता तब तक योजना सफल कैसे हो सकती है। इसलिए योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए आकाशवाणी, टेलीविज़न केमाध्यम से योजना पहुँचता है। और जिस व्यक्ति ने योजना का लाभ लिए

गया है उस व्यक्ति तक पहुँचकर उसका अनुभव कैसा मिला उसकी यशगाथा सुनकर लोगोंमें योजनाओं को लोगों तक पहुँचाते है और लोकप्रिय बनाते है।

3) जनसंपर्क करने में क्या समस्या आती है?

उत्तर- आज जनसंपर्क करने में समय के साथ माध्यम बदल गए हैऔर इन जनसंपर्क माध्यमों को प्रभावी बनाते- बनाते समस्या भी आती है।उसमे जनसंपर्क के स्त्रोत और उसके माध्यम से गलत जानकारी जनता तक पहुँचना यह बड़ी समस्या है। आज स्पर्धा का युग होने के कारण सूचना, संदेश जनता तक पहुँचानेमें समय नहीं लगता है। सूचना की प्राथमिकता को लेकर जल्द बाजी में कई बार गलत जानकारी जनता तक पहुँचाजाती है और उसका आम जनता पर गहराअसर होता है। फिर जनता को सूचित करने में समस्या आती है, समय खर्च होता है। योजनाओं के लेकर कई बार पूरी जानकारी न होने के कारण समस्या आती है और जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती तब तक समस्या रहती है। इसलिए जन भावनाओं की कदर करनी चाहिए।

4) योजनाओं में भ्रष्टाचार की बढ़ती भूमिका को रोकने में जनसंपर्क की क्या भूमिका है?

उत्तर- योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जनसंपर्क प्रभावी माध्यम है। आज महाराष्ट्र शासन ने सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन होने के कारण सारी जानकारी लोगोंतक पहुँचती है। दूसरी बात यह की योजनाओं का टेंडर हो या अन्य काम की सारी जानकारी मिलती है। क्या योजना है ? किसकों व्यक्ति को मिली है? किस जाती वर्ग का है यह जानकारी मिलती है तो योजनाओं में भ्रष्टाचार की न के बराबर भूमिका है। आप और भी जानकारी चाहते है तो सूचना का अधिकार के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी मँगवा सकते है।

5) सरकारी योजनाओं के प्रति लोगोंका विश्वास बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है?

उत्तर- सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों में विश्वास तो है लेकिन वह योजना हमें मिल सकती है क्या यह व्यक्ति आज सोचता है। दूसरी बात यह कि जो व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेते है क्या वह कितना प्रभावी हुआ है और उसकों लेकर एक यशस्वी होने की स्टोरी बनाते है और जन- जन तक पहुचाने का काम करते है। उस के माध्यम से लोगों में विश्वास स्थापित हो जाता है। इससे और भी जनसंपर्क प्रभावी हो सकता है।

उस्मानाबाद जिला जनसंपर्क अधिकारी साक्षात्कार

1) जनसंपर्क के लिए किन जनमाध्यमों का प्रयोग करते है?

उत्तर- यह जिला सूचना कार्यालय होने की वजह से सिर्फ जिले अनुसार ही जनसंपर्क करते है। हमारा कार्यालय सरकारी व्यवस्था और समाज इनके बीच मीडियटर की भूमिका निभाता है। ज्यादा से ज्यादा मीडिया का उपयोग करके करते है। वर्तमान पत्र, रेडियो,महाविद्यालय में जाकर चर्चाकरते है, नाटक के माध्यम से और गांवों में जगह- जगह जाकर जनता में जागरूकता लाने का काम करते हैऔर जानकारी देते है।

2) सरकारी योजना जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है?

उत्तर - सरकारी योजना जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए जब तक सीधी योजना जनता में नहीं पहुँचाती तब तक जनसंपर्क नहीं बढ़ेगा और नहीं लोकप्रिय होगी। योजना क्या है?, किस प्रकार का उपयोग होगा?, क्या करना पड़ेगा? ये जानकारी देनी पड़ेगी। उदाहरण पर जैसे मीडिया में क्या, कब, कहा, कोन,क्यों क्यौ, कैसेइन प्रश्नो का होना जरूरी होता है उसी प्रकार से योजना में भी लागू होता है। योजना विविध माध्यमों के द्वारालोगोंतक पहुचाने से ही प्रभाव पड़ता है।और लोगोंको प्रेरितकरने से ही लोकप्रिय बनती है।

2) जनसंपर्क करने में क्या समस्या आती है?

उत्तर – आज के मीडिया का दायरा बढ़ गया है। जो बात हम सीधी तरह से पहुँचाते है। तो लोग सकारात्मक लेगे या नकारात्मक यह बहुत बड़ा प्रश्न है। लोग एक ही चीज को कई प्रकार से लेते है। जैसे मास कम्युनिकेशन की ग्रेप वाइन थ्योरी का प्रकारहै। एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है जिस प्रकार समस्या अन्य क्षेत्र में आती है। कई बार योजना में मध्यस्थी भूमिका महत्वपूर्ण होती है,तो कई बार दूर-दराज क्षेत्र में जनसंपर्क और वित्त संसाधनों की कमी पड़ती है। इस प्रकार जनसम्पर्क में भी समस्या आती है।

3) योजनाओं में भ्रष्टाचार की बढ़ती भूमिका को रोकने में जनसंपर्क की क्या भूमिका है?

उत्तर - योजनाओं में भ्रष्टाचार की बढ़ती भूमिका को रोकने में जनसंपर्कमहत्वपूर्ण है। क्यों कि भ्रष्टाचार कब होता है। जब लोगोंमें आधी अधूरी जानकारी मिलती है, तो भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है। जनसंपर्क एक ऐसा माध्यम है जो सरकारी योजना लोगोंतक ले जाने के बाद पूरी जानकारी दे योग्य जानकारी देने से लोग योजना के साथ अच्छे जुड़ सकते है। इसी से भ्रष्टाचार की भूमिका थोड़ी बहुत

कम हो सकती है। इन सरकारी योजना में जनसहभागिता महत्वपूर्ण है क्यों कि लोग योजना से जुड़ेगे तो भ्रष्टाचार कम होगा।

5) सरकारी योजनाओं के प्रति लोगोंका विश्वास बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है?

उत्तर – कोई भी योजना लोगोंतक पहुचाने में उसको लोकप्रिय बनाने के लिए उसका उद्दिष्ट महत्वपूर्ण होता है। किसी भी योजना को चलाना होता है तो सौ, दो सौ, या पाँचसौ फार्म आते है योजना का फायदा जिले में सिर्फ 20 लोगोंको देना होता है तो किसको चुने सभी को लगता है कि मुझे योजना का लाभ मिले। तब समस्या आती है तो लोगोंमें विश्वास बढ़ाने के लिए पारदर्शकता महत्वपूर्ण है। योजना के निकष, उसका टार्गेट, उसकी नियमावली क्या है इन सभी को देखकर लोगोंमें विश्वास सम्पादन करने का काम किया जाता है। और योजना में योग्य लाभार्थी का चयन किया जाय तो आम लोगोंका विश्वास और भी बढ़ सकता है।

नागपूर दूरदर्शन केंद्र कार्यक्रम निर्देशक साक्षात्कार

1) जनसम्पर्क के लिए किन जनमाध्यमों का उपयोग करते है?

उत्तर –जनसंपर्क के लिए हमारे जो टार्गेट श्रोता है और उसकी जरूरत क्या है। इनको देखकर माध्यमों का उपयोग करते है। जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोग्रामिग के आधार पर उस एरिया के ऊपर कार्यक्रम निर्माण किया जाता है। जिस एरिया में जो योजना चलानी है वहा प्रत्यक्ष जाकर निरक्षण भी किया जाता है। उस प्रोग्राम के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगोंसे चर्चा करते है और उससे अधिक से अधिक लोगोंतक पहुँचा ने का काम करते है।

2) सरकारी योजनाओं को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे है?

उत्तर - सरकारी योजनाओं को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए उन योजनाओं की प्रथम जानकारी ली जाती है। उसके लिए जो यंत्रणा कार्यान्वित की गई है, उससे बात की जाती है। उससे जनसामान्य के लिए क्या फायदेमंद रहेगा उसकी जानकारी ली जाती है। जो योजना है वह किसकेलिए है उसके लिए आवेदन कहा करना होता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है। उसमे लोगोंके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखकर जानकारी दी जाती है।

3) जनसंपर्क करने में क्या समस्या आती है?

उत्तर- जनसंपर्क करने में क्या समस्या यह आती है कि लोगोंकी जरूरत क्या है उसको प्रूफ करने में समस्या आती है। और दूसरा फील्ड में क्या समस्या आती है यह आप को रूम में बैठकर नहीं पता चलेगी। आप को प्रथम बाहर जाकर लोगोंसे बात करने पड़ेगी उनकी समस्या क्या है, उसका निरीक्षण करना पड़ेगा। कई बार न्यूज़ पेपर का भी सहारा लिया जाता है। स्टिंगर से भी बात कि जाती है। और उस क्षेत्रकी जानकारी लेते है। कई बार उस योजना या कोई कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी जानकारी देने के लिए समय नहीं दे पाते है। इसकी वजह से जनसंपर्क करने में समस्या आती है।

4) योजनाओं में भ्रष्टाचार की बढ़ती भूमिका को रोकने में जनसंपर्क की क्या भूमिका है।

उत्तर- योजनाओं में भ्रष्टाचार की बढ़ती भूमिका को रोकने के लिए बार- बार सूचना दी जाती है कि रिश्वत खोरों से सावधान, रिश्वत मत दे समस्या आने पर हेल्पलाईन पर फोन करे। जब लोगोंको योजना लेनी होती है

तो उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। कई बार दलाल लोग योजनाओं में घुस जाते है लोगोंको लुभाते है बड़ी- बड़ी जुगाड़ की बाते करते है। इसलिए जनसामान्य व्यक्ति तक योजना नहीं पहुँचा ती है। इन एजंट लोगोंसे भी बचाने की जानकारी देते है। इसी से भ्रष्टाचार को रोकते है और जन– जन तक जानकारी पहुँचाते है।

5) सरकारी योजनाओं के प्रति लोगोंका विश्वास बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है?

उत्तर- सरकारी योजनाओं के प्रति लोगोंका विश्वास बढ़ाने के लिए उस एरिया की सक्सेस स्टोरी करके लोगोंतक पहुचाते है। उससे लोगोंको लगता है कि उसने उस योजना का फायदा लिया तो हम क्यों नहीं ले सकते तो इससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है। उस योजना के माध्यम से उस व्यक्ति को क्या लाभ हो गया है। उसने उस योजना तक कैसे अपनी पहुँचबनाई या किस व्यक्ति के पास गया था, या उसकी किसने मद्दकी है। ऑन द स्पॉट रेकार्ड करते है। इस से लोगोंके बीच ओपिनियन पोल की भूमिका निभाई जा सकती है।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi
Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वरा पारित अधिनियम 1997
क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

शोधार्थी- बलीराम कोकाटे

पाठ्यक्रम -एम. फिल. जनसंचार

शोध निरदेशक -डॉ. अख्तर आलम

विषय -पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण में सरकारी जनसंपर्क की भूमिका

नोट:- दी गई जानकारी गोपनीय राखी जाएगी तथा सभी सूचनाएं, तथ्य और जानकारियां केवल शोध कार्य के लिए उपयोगी होगी।

उत्तरदाता का नाम..... आयु ( )

शैक्षणिक योग्यता ..... व्यवसाय

पत्ता .....

मोबाइल नंबर ई- मेल-

---

1 . क्या आप केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं की नियमित जानकारी रखते हैं?

A हाँ ☐ b नहीं ☐ C थोड़ाबहुत ☐

2 क्या आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं?

A हाँb ☐ b नहीं ☐

3 सरकारी योजनाओं की जानकारी इनमें से किससे मिलती है?

A व्यक्ति से ☐ b ग्रामपंचायत ☐ c पंचायत समिति ☐ dअन्य ☐

4 सरकारी योजनाओं की जानकारी किस जनसंचार माध्यम से मिलती है?

A समाचारपत्र ☐ पत्रिका ☐ c टेलीविज़न ☐ d रेडियों ☐ e अन्य माध्यम ☐

5 आप कौन कौन सी केंद्र और राज्य सरकार की योजनों का लाभ लेते है?

केंद्र सरकार योजना हा √नहीं× राज्य सरकार हा नहीं×

धन योजना			कृषि संजीवनी योजना		
बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना			कृषि बीमा योजना		
राजीव गांधी जीवन दाई योजना			खेती तालाब योजना		
जननी सुरूक्षा योजना			स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान		
मनरेगा योजना			कृषि शैक्षणिक सहल		

6. पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है?

A सरपंच ☐ b पंचायत समिति ☐ c जिला परिषद ☐ d स्वय सेवा संघटन ☐

7 . क्या आम आदमी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है?

A हाँ ☐ b नहीं ☐ c थोड़ाबहुत ☐

8 . पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण विकास को सशक्त किया है?

A हाँ ☐ b नहीं ☐ c थोड़ाबहुत ☐

9 . सरकारी योजनाओं के विकास में गति कैसे लायी जा सकती है?

A जनसहभागिता ☐ b महिला सहभागिता से ☐ c जनसंपर्क ☐ d लोकजागृति ☐

10 . सरकार को क्या करना चाहिए की आपकी ग्रामपंचायत का मजबूतीकारण हो सके टिप्पणी दे?

_____

_____